न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 90/2018 अपील (GCMS/2018/00099)
पंजीयन दिनांक - 27.06.2018
निर्णय दिनांक - 16.02.2021

1. श्री इस्माईल पिता श्री अब्दुलजी मुसलमान (पीनारा), निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सत्तार पिता श्री अब्दुलजी मुसलमान (पीनारा), निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती बानू पुत्री श्री अब्दुल जी पत्नि श्री मोहम्मदगनी जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, हाल निवासी भूपालसागर बस स्टेण्ड, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती आमना पुत्री श्री अब्दुल जी पत्नि श्री चांदमोहम्मद जी पीनारा (मुसलमान), निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
4. तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

उपस्थितिः-

1. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील अपीलार्थी
2. श्री कमलेश चौहान - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3

प्रकरण संख्या-17/2017, में इस्माईल बनाम सत्तार व अन्य में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 16.02.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-17/2017, में इस्माईल बनाम सत्तार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- मौजा राजस्व ग्राम रेलमगरा में आराजी संख्या-340, 351, 355, 968, 2059, 2094, 2099, 2194, 3547/974, 3639/1864, 3673/1999, कुल किता 11 कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा (सम्पूर्ण हिस्सा), अराजी नम्बर 337, 331, कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा (1/48 हिस्सा), आराजी नम्बर 972, 973, 1872, 2096 किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा (1/3 हिस्सा) एवं आराजी नम्बर 361 रकबा 3 बिस्वा (1/3 हिस्सा) कृषि भूमि स्थित होकर उपरोक्त हिस्सानुसार अब्दुल के नाम दर्ज थी। श्री अब्दुल की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा उपरोक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या-4348 दिनांक 20.06.2016 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 जो अब्दुल के पुत्र एवं पुत्रियां के नाम स्वीकृत किया।

- अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण से क्षुब्ध होकर एक अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि श्री अब्दुल द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 04.12.2016 को अपने नाम स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति के बारे में व्यवस्था पत्र (वसीयत पत्र) नोटेरी से तस्दीकशुदा व गवाहान से तस्दीकशुदा लिखवाकर अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 3 की उपस्थिति में निष्पादित की थी, जिसके अनुसार उपरोक्त कृषि आराजीयात अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-1 के नाम कर दी थी। मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती है तथा यदि कोई मुसलमान व्यक्ति निर्वसीयती मृत्यु को प्राप्त होता है तो सुन्नी विधि के अनुसार मृतक विधिक वारिसान को जिनमें एक पुत्री या अनेक पुत्रियां को मिलाकर कुलिया 1/3 हिस्सा मृतक की सम्पत्ति में प्राप्त होता है और शेष हिस्सा मृतक के पुत्रों को प्राप्त होता है। इस प्रकार तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय वसीयत एवं सुन्नी विधि को नजरअंदाज किया गया, अपीलार्थी को सुना नहीं गया, ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाई जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा निर्णय दिनांक 24.05.2018 से उपरोक्त अपील को खारिज कर तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम रेलमगरा का नामान्तरकरण संख्या-4348 दिनांक 20.06.2016 विधि सम्मत होने से बहाल रखा।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05. 2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 20.06. 2018 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया

तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.02.2021 को सुनी गई। वकील अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा राजस्व ग्राम रेलमगरा में आराजी संख्या-340, 351, 355, 968, 2059, 2094, 2099, 2194, 3547/974, 3639/1864, 3673/1999, कुल किता 11 कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा (सम्पूर्ण हिस्सा), अराजी नम्बर 337, 331, कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा (1/48 हिस्सा), आराजी नम्बर 972, 973, 1872, 2096 किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा (1/3 हिस्सा) एवं आराजी नम्बर 361 रकबा 3 बिस्वा (1/3 हिस्सा) कृषि भूमि स्थित होकर उपरोक्त हिस्सानुसार अब्दुल के नाम दर्ज थी। श्री अब्दुल की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा उपरोक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या-4348 दिनांक 20.06.2016 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 जो अब्दुल के पुत्र एवं पुत्रियां के नाम स्वीकृत किया जबकि श्री अब्दुल द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 04.12. 2016 को अपने नाम स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति के बारे में व्यवस्था पत्र (वसीयत पत्र) नोटेरी से तस्दीकशुदा व गवाहान से तस्दीकशुदा लिखवाकर अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या- 1 से 3 की उपस्थिति में निष्पादित की थी, जिसके अनुसार उपरोक्त कृषि आराजीयात अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-1 के नाम कर दी थी। मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती है तथा यदि कोई मुसलमान व्यक्ति निर्वसीयती मृत्यु को प्राप्त होता है तो सुन्नी विधि के अनुसार मृतक विधिक वारिसान को जिनमें एक पुत्री य अनेक पुत्रियां को मिलाकर कुलिया 1/3 हिस्सा मृतक की सम्पत्ति में प्राप्त होता है और शेष हिस्सा मृतक के पुत्रों को प्राप्त होता है। इस प्रकार तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय वसीयत एवं सुन्नी विधि को नजरअंदाज किया गया, अपीलार्थी को सुना नहीं गया। व्यवस्था पत्र के अनुसार मुस्लिम विधि में धारा-54 व 55 के अनुसार म्युटेशन खोला जाना लाजमी है तथा इसमें व्यवस्था पत्र को देखा जाकर उसी के आधार पर म्यूटेशन किया जाना आवश्यक था। विभिन्न न्यायालयों ने कई मामलों में तय किया कि दावा चलते हुए भी म्यूटेशन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा इस मामलें में तो म्यूटेशन की कार्यवाही करना आवश्यक है क्योंकि गलत म्यूटेशन के आधार पर ही बटवारें का वाद पेश किया गया है ऐसी स्थिति में बटवारे के वाद में किसी के राईट टाईटल तय नहीं होते है। तहसीलदार ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार लड़कों व लडकियों का बराबर हक मानते हुए जो म्यूटेशन पारित किया है वह गलत होकर बिना अधिकार के है। जबकि इस प्रकरण में मुस्लिम विधि की धारा-54 व 55 को देख लेते तो व्यवस्था पत्र के अनुसार म्यूटेशन कर देते। व्यवस्था पत्र के आधार पर अब्दुल जी की विवादित जमीन का

नामान्तरकरण अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या-1 का 1/2 हिस्सा के आधार पर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आलौच्य नामान्तरकरण आपस्त फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत (आरआरटी 2008(2) पेज 936, आरआरटी 2007(1) पेज 589, आरआरटी 2007(2) पेज 882) प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 3 ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जो नामान्तकरण दिनांक 20.06.2016 को फैसल किया गया वह नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। अपीलार्थी का कथन कि आलौच्य नामान्तरकरण उनकी अनुपस्थिति में स्वीकृत किया गया जो गलत है, उक्त नामान्तरकरण उनकी उपस्थिति में स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट के मध्य विभाजन का वाद एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का पिछले कई वर्षों से न्यायालय सहायक कलक्टर रेलमगरा में विचाराधीन है जो इस वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, इसमें कोई हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस एवं प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आदरपूर्वक परिशीलन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौजा राजस्व ग्राम रेलमगरा में आराजी संख्या-340, 351, 355, 968, 2059, 2094, 2099, 2194, 3547/974, 3639/1864, 3673/1999, कुल किता 11 कुल रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा (सम्पूर्ण हिस्सा), अराजी नम्बर 337, 331, कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा (1/48 हिस्सा), आराजी नम्बर 972, 973, 1872, 2096 किता 4 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा (1/3 हिस्सा) एवं आराजी नम्बर 361 रकबा 3 बिस्वा (1/3 हिस्सा) कृषि भूमि स्थित होकर उपरोक्त हिस्सानुसार अब्दुल के नाम दर्ज थी। श्री अब्दुल की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा उपरोक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या-4348 दिनांक 20.06.2016 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट संख्या-1 से 3 जो अब्दुल के पुत्र एवं पुत्रियां के नाम समान हिस्सेवार स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सक्षम अपील प्रस्तुत

की गई जिसे वाद विचाराधीन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया और उनके समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई और जिसके परिणाम स्वरूप यह अपील प्रस्तुत की गई।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या-4348 दिनांक 20.06.2016 को पारित किया गया और उस नामान्तरकरण के आधार पर श्रीमती आमना द्वारा एक विभाजन एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद दिनांक 02.09.2016 को प्रस्तुत किया गया। यह स्पष्ट है कि आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाते समय कोई वाद लम्बित नहीं था, ऐसे में यह स्वीकार योग्य नहीं है कि नामान्तरकरण सम्बन्धित अपीलीय कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद में विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में स्थगन प्रदान किया गया हो। यहा अब यह देखने योग्य तथ्य है कि तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पारित नामान्तरकरण विधिक एवं तथ्यों के परिक्षण के उपरान्त स्वीकृत किया गया है या नहीं। यह तथ्य निर्विवादित है कि हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकार मुस्लिम समुदाय है और मुस्लिम समाज पर नामान्तरकरण सम्बन्धित कार्यवाही हेतु मुस्लिम विधि लागू किया उचित है। आलौच्य नामान्तरकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का लागु किया है, जो अनुचित है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वह मुस्लिम होकर सुन्नी होने से सुन्नी विधि लागु की जानी थी। प्रावधान है कि मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती है तथा यदि कोई मुसलमान व्यक्ति निर्वसीयती मृत्यु को प्राप्त होता है तो सुन्नी विधि के अनुसार मृतक विधिक वारिसान को जिनमें एक पुत्री य अनेक पुत्रियां को मिलाकर कुलिया 1/3 हिस्सा मृतक की सम्पत्ति में प्राप्त होता है और शेष हिस्सा मृतक के पुत्रों को प्राप्त होता है। इस सभी विधिक प्रावधानों पर तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा जांच एवं परिक्षण उपरान्त निर्णय पारित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही अपेक्षित थी जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा व्यवस्था पत्र का हवाला दिया गया जिसकी भी जांच तहसीलदार, रेलमगरा स्तर पर अपेक्षित थी, परन्तु नहीं की गई जो अनुचित है। इन सभी तथ्यों पर अपीलीय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा द्वारा भी गौर न कर एक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा ने निर्णय दिनांक 24.05.2017 एवं तहसीलदार, रेलमगरा ने नामान्तरकरण संख्या-4348 दिनांक 20.06.2016 पारित किये जाते समय उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है जो हमारी संविचारित राय में नितान्त अविधिक होने से आलौच्य निर्णय का समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत कथनों का समर्थन करते है और हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा का निर्णय दिनांक 24.05.2017 अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, रेलमगरा को पुनःप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में सभी प्रभावित पक्षकारान/वारिसान सहित को सुनवाई को समुचित अवसर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर देते हुए, उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर